वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

मांग संख्या 12

औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
मुख्य शीर्ष	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व	1640.75	225.70	1866.45	2261.89	351.69	2613.58	2205.32	225.75	2431.07	2655.39	361.55	3016.94
पूंजी	***0.25***	...	*0.25*	*2.61*	...	*2.61*	*4.68*	...	*4.68*	*9.61*	...	*9.61*
जोड़	**1641.00**	**225.70**	**1866.70**	**2264.50**	**351.69**	**2616.19**	**2210.00**	**225.75**	**2435.75**	**2665.00**	**361.55**	**3026.55**
ब.अ. 2016-2017												
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451 ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	66.25	66.25
राष्ट्रीय औद्योगिक कारीडोर												
2. राष्ट्रीय औद्योगिक कारीडोर												
2.01 दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कारीडोर परियोजना (डीएमआईसी)	2885 ...	...	...	...	...	...	...	...	...	1399.99	...	1399.99
2.02 अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कारीडोर परियोजना (एकेआईसी)	2885 ...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.00	...	3.00
2.03 राष्ट्रीय औद्योगिक कारीडोर विकास प्राधिकरण	2885 ...	...	...	...	...	...	...	...	...	45.00	...	45.00
2.04 निदर्शन-सह-सम्मेलन केंद्र, द्वारका	4059 ...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	...	0.01
जोड़- राष्ट्रीय औद्योगिक कारीडोर	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*1448.00*	...	*1448.00*
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं												
3. बौद्धिक संपत्ति												
3.01 पेटेंट डिजाइन और ट्रेड मार्क्स महानियंत्रक	3475 ...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	48.23	48.23
3.02 राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति प्रबंधन संस्थान	3475 ...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.50	0.53	2.03
3.03 बौद्धिक संपत्ति कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण	3475 ...	...	...	...	...	...	...	...	...	45.25	...	45.25
	4059 ...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.60	...	1.60
	जोड़ ...	...	...	...	...	...	...	...	...	*46.85*	...	*46.85*
3.04 बौद्धिक संपत्ति अपीलीय बोर्ड सुदृढ़ीकरण स्कीम	3475 ...	...	...	...	...	...	...	...	...	1.00	5.09	6.09
	4059 ...	...	...	...	...	...	...	...	...	8.00	...	8.00

(करोड़ रुपए)

		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
		जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*9.00*	*5.09*	*14.09*
	जोड़- बौद्धिक संपत्ति		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*57.35*	*53.85*	*111.20*
4.	भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	300.00	...	300.00
5.	*मेक इन इंडिया*													
	5.01 निवेश संवर्धन स्कीम	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	310.00	...	310.00
	5.02 राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कार्यान्वयन स्कीम	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	3.35	...	3.35
	5.03 व्यवसाय करना सरल बनाना (ई-बीज परियोजना)	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	11.00	...	11.00
	जोड़- मेक इन इंडिया		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*324.35*	...	*324.35*
6.	औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	152.00	...	152.00
7.	*सहबद्ध कार्यालय और स्वायत्तशासी संगठन*													
	7.01 पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन	2070	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4.00	35.88	39.88
	7.02 नमक आयुक्त	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.30	33.32	33.62
	7.03 प्रशुल्क आयोग	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	7.59	7.59
	7.04 वॉयलर सर्वेक्षण	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.25	0.25
	7.05 एशिया उत्पादकता संगठन/संयुकत राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	17.20	17.20
	7.06 विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन	3475	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.65	0.65
	7.07 स्वायत्तशासी संस्थाओं को परियोजना आधारित सहायता	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	32.00	...	32.00
		2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	78.00	...	78.00
		जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*110.00*	...	*110.00*
	7.08 स्वायत्तशासी निकायों को सहायता	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	46.55	46.55
	7.09 अन्य स्कीमें	2852	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.01	0.01
	जोड़- सहबद्ध कार्यालय और स्वायत्तशासी संगठन		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*114.30*	*141.45*	*255.75*
8.	व्यापार सेवा मूल्य सूचकांक विकास	3475	...	...	...	...	...	...	...	...	...	4.00	...	4.00
9.	*पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास*													
	9.01 पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति (एनईआईआईपीपी) 2007	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	169.97	...	169.97
		2885	...	...	...	...	...	...	...	...	...	0.03	...	0.03
		जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*170.00*	...	*170.00*
	9.02 परिवहन सब्सिडी स्कीम	2552	...	...	...	...	...	...	...	...	...	65.00	...	65.00
		2885	...	...	...	...	...	...	...	...	...	5.00	...	5.00

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
	जोड़	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*70.00*	...	*70.00*
9.03 जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए विशेष पैकेज	2885	...	...	...	...	...	...	...	...	...	25.00	...	25.00
जोड़- पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास		...	...	...	...	...	...	...	...	...	*265.00*	...	*265.00*
10. आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में औद्योगिक यूनिटों को ब्याज सब्सिडी	2885	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	100.00	100.00
सं.अ. 2015-2016													
11. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	50.08	50.08	...	55.39	55.39	...	50.25	50.25	...	...	...
उद्योग													
12. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद	2852	...	22.83	22.83	...	14.95	14.95	...	14.95	14.95	...	...	...
13. एशियाई उत्पादकता संगठन	2852	...	7.70	7.70	...	7.70	7.70	...	7.70	7.70	...	...	...
14. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन	3475	...	0.63	0.63	...	0.65	0.65	...	0.62	0.62	...	...	...
15. स्वायत्तशासी संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता	2852	94.29	...	94.29	61.00	...	61.00	59.19	...	59.19	...	...	...
16. राष्ट्रीय विनिर्माण नीति के कार्यान्वयन के लिए योजना	2852	0.12	...	0.12	3.35	...	3.35	3.35	...	3.35	...	...	...
जोड़-उद्योग		**94.41**	**31.16**	**125.57**	**64.35**	**23.30**	**87.65**	**62.54**	**23.27**	**85.81**	**...**	**...**	**...**
अन्य प्रशासनिक सेवाएं													
17. पेट्रोलियम एवं विस्फोटक पदार्थ सुरक्षा संगठन	2070	2.46	28.72	31.18	4.00	32.02	36.02	3.00	30.29	33.29	...	...	...
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं													
18. पेंटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक	3475	...	39.14	39.14	...	44.08	44.08	...	39.08	39.08	...	...	...
19. भौगोलिक संकेतन रजिस्ट्री	3475	...	0.70	0.70	...	0.90	0.90	...	0.51	0.51	...	...	...
20. बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण	3475	38.28	...	38.28	45.25	...	45.25	36.08	...	36.08	...	...	...
	4059	0.24	...	0.24	1.60	...	1.60	4.67	...	4.67	...	...	...
	जोड़	*38.52*	...	*38.52*	*46.85*	...	*46.85*	*40.75*	...	*40.75*	...	...	...
21. राष्ट्रीय बौद्धिक संपत्ति प्रबंधन संस्थान	3475	0.45	0.31	0.76	1.50	0.53	2.03	0.70	0.23	0.93	...	...	...
22. आर्थिक सलाहकार	3475	3.20	5.17	8.37	4.00	6.11	10.11	5.20	5.90	11.10	...	...	...
23. बौद्धिक संपत्ति अपीलीय बोर्ड (आईपीएबी)	3475	...	4.06	4.06	1.00	5.59	6.59	1.00	3.75	4.75	...	...	...
	4059	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*0.01*	*4.06*	*4.07*	*2.00*	*5.59*	*7.59*	*1.00*	*3.75*	*4.75*	...	...	...
जोड़-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं		**42.18**	**49.38**	**91.56**	**54.35**	**57.21**	**111.56**	**47.65**	**49.47**	**97.12**	**...**	**...**	**...**
24. टैरिफ आयोग	2852	...	6.10	6.10	...	8.19	8.19	...	5.83	5.83	...	...	...
25. नमक आयुक्त	2852	0.26	28.38	28.64	0.30	31.16	31.46	0.40	27.47	27.87	...	...	...
26. केन्द्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान	2852	...	8.70	8.70	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	...	...

(करोड़ रुपए)

		मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015			बजट 2015-2016			संशोधित 2015-2016			बजट 2016-2017		
			आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
27.	लुग्दी एवं कागज उद्योग विकास परिषद	2852	...	8.57	8.57	...	7.00	7.00	...	7.00	7.00	...	...	...
28.	सीमेंट उद्योग विकास परिषद	2852	...	2.20	2.20	...	2.35	2.35	...	2.35	2.35	...	...	...
29.	भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम	2852	270.00	...	270.00	150.00	...	150.00	235.00	...	235.00	...	...	...
30.	अन्य योजनाएं	2852	...	...	...	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	...	...
31.	संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन	2852	...	...	...	...	9.50	9.50	...	6.77	6.77	...	...	...
32.	*पिछड़े क्षेत्रों का विकास*													
	32.01 औद्योगिक इकाइयों को परिवहन सब्सिडी	2885	124.49	...	124.49	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	...	...	...
	32.02 जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड के लिए विशेष श्रेणी के राज्यों का पैकेज	2885	99.99	...	99.99	25.00	...	25.00	25.00	...	25.00	...	...	...
	32.03 पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2007	2885	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	32.04 केन्द्रीय ब्याज सब्सिडी स्कीम	2885	25.77	...	25.77	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
	32.05 पूँजी निवेश सब्सिडी	2885	194.25	...	194.25	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
	32.06 व्यापक बीमा योजना	2885	1.88	...	1.88	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
	जोड़- पिछड़े क्षेत्रों का विकास		*446.38*	...	*446.38*	*30.03*	...	*30.03*	*30.03*	...	*30.03*	...	...	...
33.	औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम	2852	114.98	...	114.98	166.00	...	166.00	105.00	...	105.00	...	...	...
34.	राष्ट्रीय सीमेंट एवं भवन सामग्री परिषद	2852	...	10.80	10.80	...	12.20	12.20	...	12.20	12.20	...	...	...
35.	बॉयलर सर्वेक्षण	2852	...	0.14	0.14	...	0.25	0.25	...	0.19	0.19	...	...	...
36.	राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद	2852	...	1.48	1.48	...	3.11	3.11	...	0.65	0.65	...	...	...
37.	निवेश प्रोत्साहन/मेक इन इंडिया योजना	2852	64.08	...	64.08	310.00	...	310.00	263.00	...	263.00	...	...	...
38.	ई-बिज परियोजना	2852	6.09	...	6.09	11.00	...	11.00	5.50	...	5.50	...	...	...
39.	*दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर*													
	39.01 दिल्ली मुंबई औद्योगिक परियोजना को अनुदान	2885	643.00	...	643.00	1199.99	...	1199.99	1199.99	...	1199.99	...	...	...
	39.02 प्रदर्शनी एवं सम्मेलन केन्द्र, नई दिल्ली	4059	...	...	...	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	...	...	...
	जोड़- दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर		*643.00*	...	*643.00*	*1200.00*	...	*1200.00*	*1200.00*	...	*1200.00*	...	...	...
40.	राष्ट्रीय उद्योग कॉरीडोर विकास प्राधिकरण	2885	0.53	...	0.53	45.00	...	45.00	...	...	...	...	...	...
41.	अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरीडोर को अनुदान	2885	...	...	...	3.00	...	3.00	2.10	...	2.10	...	...	...
42.	निवेश सब्सिडी (पुराना)	2885	0.25	...	0.25	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43.	आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना में औद्योगिक इकाईयों को ब्याज सहायता	2885	...	...	...	...	100.00	100.00	...	...	...	...	...	...
44.	अतिरिक्त भुगतान की वसूलियाँ	2852	-40.18	...	-40.18	...	...	...	...	...	...	...	...	...
		2885	-3.44	...	-3.44	...	...	...	...	...	...	...	...	...

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	वास्तविक 2014-2015 आयोजना	वास्तविक 2014-2015 आयोजना-भिन्न	वास्तविक 2014-2015 जोड़	बजट 2015-2016 आयोजना	बजट 2015-2016 आयोजना-भिन्न	बजट 2015-2016 जोड़	संशोधित 2015-2016 आयोजना	संशोधित 2015-2016 आयोजना-भिन्न	संशोधित 2015-2016 जोड़	बजट 2016-2017 आयोजना	बजट 2016-2017 आयोजना-भिन्न	बजट 2016-2017 जोड़
	3475	...	-0.01	-0.01	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*-43.62*	*-0.01*	*-43.63*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*	*...*
45. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए प्रावधान													
45.01 पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, 2007	2552	...	...	...	149.97	...	149.97	199.97	...	199.97	...	...	...
45.02 औद्योगिक यूनिट को परिवहन सब्सिडी	2552	...	...	...	55.00	...	55.00	55.00	...	55.00	...	...	...
45.03 स्वायत्त संस्थाओं को परियोजना आधारित समर्थन	2552	...	...	...	21.50	...	21.50	0.81	...	0.81	...	...	...
जोड़- पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम के लिए प्रावधान		*...*	*...*	*...*	*226.47*	*...*	*226.47*	*255.78*	*...*	*255.78*	*...*	*...*	*...*
कुल जोड़		***1641.00***	***225.70***	***1866.70***	***2264.50***	***351.69***	***2616.19***	***2210.00***	***225.75***	***2435.75***	***2665.00***	***361.55***	***3026.55***

	विकास शीर्ष	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. योजना परिव्यय													
1. अन्य उद्योग	12875	512.10	...	512.10	705.66	...	705.66	674.45	...	674.45	858.66	...	858.66
2. उद्योगों और खनिजों पर अन्य परिव्यय	12885	1086.72	...	1086.72	1278.02	...	1278.02	1232.12	...	1232.12	1478.02	...	1478.02
3. अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	13475	42.18	...	42.18	54.35	...	54.35	47.65	...	47.65	61.35	...	61.35
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	...	...	...	226.47	...	226.47	255.78	...	255.78	266.97	...	266.97
जोड़		**1641.00**	**...**	**1641.00**	**2264.50**	**...**	**2264.50**	**2210.00**	**...**	**2210.00**	**2665.00**	**...**	**2665.00**

1. **सचिवालय - आर्थिक सेवाएं:** इसमें औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के सचिवालय व्यय के लिए प्रावधान है।

2. **राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर:**

2.01. **दिल्ली मुम्बई औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना:** दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरीडोर परियोजना को दादरी (उ.प्र.) तथा जेएनपीटी (नवी मुंबई) के बीच 1483 किमी. लंबे वेस्टर्न डेडिकेटेड रेल फ्रेट कॉरिडोर के साथ-साथ दोनों ओर विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। छः राज्यों उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से गुजरने वाली इस परियोजना में स्थानीय वाणिज्य को सक्रिय करने, निवेश बढ़ाने तथा सतत विकास प्राप्त करने के लिए एक वैश्विक प्रतिस्पर्धी परिवेश तथा अत्याधुनिक अवसंरचना से युक्त मजबूत आर्थिक आधार का निर्माण करने की अपेक्षा की गई है।

2.02. **अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडर:** उत्तरी और पूर्वी भारत के घनी आबादी वाले राज्यों में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक कॉरीडार बनाया गया है। एकेआईसी को पूर्वी समर्पित भाडा कॉरीडॉर के आसपास रीढ के रूप में और इस रूट पर मौजूदा राजमार्ग प्रणाली के आसपास सृजित किया जाएगा।

2.03. **राष्ट्रीय औद्योगिक कोरिडोर विकास प्राधिकरण:** प्राधिकरण देश में औद्योगिक कारीडोर की देखभाल करेगा।

2.04. **प्रदर्शनी सह अभिसमय केन्द्र:** प्रदर्शनी सह अभिसमय केन्द्र द्वारका दिल्ली में स्थापित किया जाएगा जो देश में वैश्विक प्रदर्शनी और सम्मेलनों के लिए आइकनिक ढाँचा और अभिकेन्द्र के लिए परिकल्पित है।

3. **बौद्धिक संपदा:**

3.01. **पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क महा-नियंत्रक (सीजीपीडीटीएम):** यह कार्यालय औद्योगिक संपत्ति अधिकार से संबंधित कानून नामतः पेटेंट अधिनियम, 1970, डिजाइन अधिनियम, 2000, ट्रेड मार्क अधिनियम, 1999 और भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 आदि को प्रशासित करता है।

3.02. **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन संस्थान:** इसमें बौद्धिक सम्पदा के क्षेत्र में प्रशिक्षण एवं शिक्षा अनुसंधान की व्यवस्था की गई है।

3.03. **बौद्धिक सम्पत्ति कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण::** यह प्रावधान पेटेंट कार्यालय, ट्रेड मार्क रजिस्ट्री, डिजाइन कार्यालय और भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री के आधुनिकीकरण को कवर करने वाली सम्मिश्र योजना के लिए है। इसमें पेटेंट कार्यालयों में जांच चरण पर निर्भरता कम करने के लिए अनुबंध पेटेंट जांचकर्ताओं को शामिल करने का प्रावधान भी शामिल है।

3.04. **बौद्धिक संपत्ति अपीलीय बोर्ड (आई.पी.ए.बी.):** इसकी स्थापना रजिस्ट्रार, ट्रेड मार्क भौगोलिक संकेतक के निर्णय के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए की गई है। आई.पी.ए.बी. उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकारों का स्थान लेता है। बजट व्यवस्था वेतन तथा बोर्ड के स्थापना संबंधी अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए है।

4. **भारतीय चर्म विकास कार्यक्रम:** भारतीय चमड़ा विकास कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य चमड़ा इकाइयों के आधुनिकीकरण तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के जरिए कच्चा माल सामग्री के आधार को बढ़ाना; पर्यावरणीय चिंताओं का समाधान करना, मानव संसाधन का विकास करना, परम्परागत चमड़ा कारीगरों की सहायता करना, बुनियादी ढांचा संबंधी बाधाओं का समाधान करना तथा संस्थागत सुविधाओं की स्थासपना करना है।

5. **मेक इन इंडिया:**

5.01. **निवेश प्रोत्साहन योजना/मेक इन इंडिया:** विभाग ने भारत को निवेश गंतव्य और विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए वैश्विक प्रोन्नति अभियान,मेक इन इंडिया की शुरूआत की है। इस पहल का उद्देश्य भारत को निवेश गंतव्य के रूप में बढ़ावा देना और भारत में अपने उत्पादों के निर्माण के लिए वैश्विक निवेशकों को आकर्षित कर इसे विनिर्माण केन्द्र के रूप में स्थापित करना है क्योंकि देश में श्रमशक्ति, अवसंरचना, कच्ची सामग्री और अन्य सुविधाओं की भारी क्षमता है। मेक इन इंडिया पहल को बनाए रखने के लिए, डीआईपीपी डिजीटल मीडिया,टेलीविजन,और अमेरिका,यूरोप,एशिया पेसिफिक, दक्षिण एशिया और अफ्रीका के माध्य से प्रचार उपलब कर रहा है।

इस स्कीम का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों जैसे संयुक्त आयोग की बैठकों, सीएफओ फोरम बैठकों, विदेश में प्रतिनिधिमंडलों द्वारा दौरों, के जरिये देश में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है।एसिस्ट इनवेस्ट इंडिया, डीआईपीपी-एफआईसीसीआई संयुक्त उपक्रम का उद्देश्य देशमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देना और आसान बनाना है।

5.02. **राष्ट्रीय विनिर्माण नीति कार्यान्वयन योजना:** इस योजना के लिए 4.11.2011 को अनुमोदित राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को कार्यान्वित करना अपेक्षित है। राष्ट्रीय निवेश और विनिर्माण क्षेत्र (एनआईएमजेड) की स्थापना नीति का महत्वपूर्ण साधन है। इस योजना के तहत प्रस्तावित निधि, एनआईएमजेड की मास्टर प्लानिंग और प्रौद्योगिकी की अधिप्राप्ति और स्वच्छ एवं हरित प्रोद्योगिकी की अधिप्राप्ति और विकास के लिए विशिष्ट निधियन प्रदान करने के लिए है।

5.03. **ई-बिज परियोजना::** ई-बिज मिशन मोड परियोजना को नेशनल ई-गवर्नेन्स आयोजना के तहत 31 मिशन मोड परियोजनाओं के रूप में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में एक ही पोर्टल पर उपलब्ध केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों के व्यावसायिक और निवेश संबंधी नियामक सेवाओं से संबंधित सभी व्यवसाय और निवेशक मैत्री इको सिस्टम का सृजन करना है। जिससे निवेशकों व व्यावसायिकों के मल्टीपल कार्यालयों में जाने की आवश्यकता अथवा वैबसाईटों की अधिकता से बचा जा सके।

6. **औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन स्कीम:** औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना प्रदान कर उद्योग की प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए। चयनित कार्यात्मक क्लस्टरों में अवसंरचना विकास राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा।

7.01. **पैट्रोलियम एवं विस्फोटक पदार्थ सुरक्षा संगठन:** इसमें संगठन के स्थापना व्यय की व्यवस्था की गई है जो भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम 1934, तथा ज्वलनशील पदार्थ अधिनियम, 1952 और उनके अन्तर्गत बनाये गये नियमों का प्रशासन करता है। यह संगठन विस्फोटकों के विनिर्माण, स्वामित्व, क्रय, प्रयोग, परिवहन आयात/निर्यात के लिए लाइसेंस को मंजूरी देता है। यह संस्था सभी प्राधिकरणों को इन अधिनियमों के अन्तर्गत आने वाले मामलों पर परामर्श देती है और पुलिस, हवाई अड्डा सुरक्षा, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, आदि को विस्फोटकों का पता लगाने के विषय में गहन प्रशिक्षण देती है।

7.02. **नमक आयुक्त:** यह संगठन केंद्रीय नमक उपकर अधिनियम 1953 और उसके अन्तर्गत बनाये गए नियमों का प्रशासन करने के लिए उत्तरदायी है। यह नमक और आयोडीन युक्त नमक के उत्पादन तथा युक्ति संगत वितरण को भी विनियमित करता है। यह नियमित रूप से नमक की उपलब्धता और मूल्य को भी मानीटर करता है। बजट में संगठन के स्थापना प्रभारों और विकास/कल्याण कार्यों के संबंध में व्यवस्था की गई है।

7.03. **प्रशुल्क आयोग:** यह भारत सरकार द्वारा 2 सितम्बर, 1997 को स्थापित आयोग की स्थापना संबंधी व्यय के लिए है।

7.04. **बॉयलर का सर्वेक्षण:** इसमें बॉयलर के सर्वेक्षण के लिए अनुसंधान अध्ययनों हेतु बजट का प्रावधान है।

7.05. **एशियाई उत्पादकता संगठन:** इसमें एशियाई उत्पादकता संगठन में भारत की सदस्यता के लिए अंशदान के लिए व्यवस्था की गई है।

7.06. **विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन:** यह प्रावधान डब्ल्यूआईपीओ को भारत की सदस्यता के अंशदान के लिए है।

7.07. **स्वायत्तशासी संस्थाओं को परियोजना आधारित सहायता:** इसमें स्वायत्तशासी संस्थाओं यानी भारतीय गुणवत्ता परिषद, राष्ट्रीय डिजायन संस्थान, केंद्रीय लुग्दी तथा कागज अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय सीमेंट तथा भवन सामग्री परिषद,

केंद्रीय विनिर्माण प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय रबड़ विनिर्माण अनुसंधान एसोसिएशन, राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्द्धी परिषद और राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को परियोजना आधारित सहायता देने का प्रावधान है।

9. **पिछड़े और दूरस्थ क्षेत्रों का औद्योगिक विकास:**

9.01. **पूर्वोत्तर औद्योगिक निवेश संवर्धन नीति, 2007:** पूर्वोत्तर औद्योगिक और निवेश संवर्धन नीति(एनईआईआईपीपी) 2007 से पूर्वोत्तर भारत में निवेशकों के लिए कई वित्तीय प्रोत्साहन मिले हैं। एनईआईआईपीपी 2007 के प्रावधानों में पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक वातावरण में तेजी लाने के लिए अपेक्षित प्रोत्साहनों और सहायक वातावरण के प्रावधान हैं।

9.02. **औद्योगिक इकाइयों को परिवहन सब्सिडी:** इसमें परिवहन सब्सिडी योजना, 1971 तहत पहाड़ी, दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक इकाइयों को परिवहन सब्सिडी देने के लिए प्रावधान है। इसके अलावा इसमें "ढुलाई सब्सिडी योजना, 2013" नामक संशोधित योजना भी शामिल है। कच्ची सामग्री के परिवहन के लिए परिवहन लागत के 50 प्रतिशत और 90 प्रतिशत के बीच सभी पात्र इकाइयों को और उनसे तैयार मालों के परिवहन और विनिर्दिष्ट रेल-शीर्ष को सब्सिडी व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने की तारीख से अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान की जाती है (उत्तर पूर्वी राज्यों,जम्मू कश्मीर और उत्तराखण्ड के लिए यह सब्सिडी 90 प्रतिशत है। हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखण्ड व पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिलों के लिए, सब्सिडी 75 प्रतिशत है। तथापि, पूर्वोत्तर क्षेत्रों के भीतर वस्तुओं की आवाजाही के लिए यह सब्सिडी 50 प्रतिशत है।)

9.03. **जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के लिए विशेष श्रेणी राज्य हेतु पैकेज:** विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए पैकेज स्कीम का क्रियान्वयन जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों में क्षेत्रीय असंतुलन कम करने के लिए रियायत/औद्योगिक निवेश बढ़ाने हेतु सब्सिडी प्रदान करने के लिए किया जाता है।

10. **आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में औद्योगिक एककों को ब्याज सहायता:** यह प्रावधान आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में स्थापित किए जाने के लिए औद्योगिक इकाईयों को ब्याज सहायता देने के लिए है जैसा आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में वर्णित है।